

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधीन - नमोस आर ए एस

क्रमांक - 111/24 प्रा पत्र

श्री शेकर सो घोसा बैरवा निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल (बीरवा)

बनाम

श्री कृपा सो देबी बलाई निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल (गौरा)  
(सिद्धो कित प्रा पत्र शकंग)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 21.5.24

::आदेश::

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संगुवत खाते की  
सूची नं. सिद्धो कित प्रा पत्र 11 रकबा 2.33.96 हेक्टर रिथत है। वादग्रस्त भूमि  
के नब्ब आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता  
जा रहा है। किन्तु प्रार्थी अपने खाते/संगुवत खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08-05-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
प्रत्येक पक्ष से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का  
आदेश है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए  
प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार  
हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संगुवत खाते की आराजी नं. सिद्धो कित प्रा पत्र 11 रकबा 2.33.96 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये  
गए हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा  
को 1000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में गौको व कब्जे  
की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर  
पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

नोटिफिकेशन:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी